न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) श्री करणपुर, जिला गंगानगर

अनवान .... बनाम ....

प्रकरण संख्या ..../ अन्तर्गत धारा..

दिनांक	आदेश या कार्यवाही मय हस्ताक्षर जज	नम्बर जो इ... पालन...
11/01/23	अधिवक्तागण उपस्थित। बहस सुनी गई। पत्रावली वास्ते आदेश दिनांक 17/01/2023 को पेश हो।	
17/01/23	अधिवक्तागण उपस्थित। पत्रावली निर्णय मे निहित है। समय अभाव के कारण निर्णय नहीं लिखवाया जा सका। पत्रावली वास्ते आदेश दिनांक २१/०२/२०२३ को पेश हो।	
२१/02/23	अधिवक्तागण उपस्थित। निर्णय अलग से लिखवाया जाकर सुनाया गया। वादी का वादपत्र अन्तर्गत धारा 53, 88, 188, 92A RTA भली-भांति साबित नहीं होने पर खारिज किया जाता है। पर्चा डिक्री इस आशय का जारी हो। पत्रावली नियति होकर नम्बर से ... दाखिल दफ्तर हो। उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) श्री करणपुर	

Signature Not Verified
Digitally signed by Subhash Chandra
Date: 2023.06.09 14:34:31 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) श्री करणपुर (श्री गंगानगर)

न्यायालय, सहायक कलक्टर एंव पदेन उपखण्ड अधिकारी
मुकाम श्रीकरणपुर, जिला श्री गंगानगर

पीठासीन अधिकारी : श्री सुभाष चन्द्र {आर.ए.एस.}

प्रकरण संख्या : 26/2010

वादी	बनाम	प्रतिवादीगण
1. भजन सिंह पुत्र मंहगा सिंह जाति कम्बोज निवासी 2 ओ तहसील श्रीकरणपुर।		1. करतार कौर पत्नी चरण सिंह जाति रायसिख निवासी 1 के डब्ल्यू तहसील खाजूवाला। 2. रामप्यारी पत्नी करतार सिंह जाति रायसिख निवासी मुहार खीवा तहसील फाज्लिका जिला फिरोजपुरा। 3. सुरजीत कौर पुत्री करतार सिंह जाति रायसिख निवासी मुहार खीवा तहसील फाज्लिका जिला फिरोजपुरा। 4. कौशल्या बाई पुत्री करतार सिंह जाति रायसिख निवासी मुहार खीवा तहसील फाज्लिका जिला फिरोजपुरा। 5. जगदीश सिंह पुत्र करतार सिंह जाति रायसिख निवासी मुहार खीवा तहसील फाज्लिका जिला फिरोजपुरा। 6. सरजीत सिंह पुत्र करतार सिंह जाति रायसिख निवासी मुहार खीवा तहसील फाज्लिका जिला फिरोजपुरा। 7. जोगेन्द्र सिंह पुत्र जगतार सिंह जाति रायसिख निवासी 2 ओ तहसील श्रीकरणपुर। 8. सतपाल सिंह पुत्र जगतार सिंह जाति रायसिख निवासी 2 ओ तहसील श्रीकरणपुर। 9. मिन्दो बाई पुत्री जगतार सिंह जाति रायसिख निवासी 2 ओ तहसील श्रीकरणपुर। 10. महेन्द्र सिंह पुत्र जगतार सिंह जाति रायसिख निवासी 2 ओ तहसील श्रीकरणपुर। 11. राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार श्री करणपुर।

वाद पत्र अन्तर्गत धारा 53,88,188,92ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

तारीख रजू:- 26.05.2010

उपस्थितः 1.श्री योगेश कुमार अधिवक्ता वादी

--निर्णय-- **दिनांक : 21.02.2023**

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि वादी के द्वारा वाद पत्र पेश कर निवेदन किया कि चक 2 ओ की जमाबन्दी सम्वत 2064 ता 2067 के खाता संख्या 25/24 के मु.न. 2, 74/31 की 5.085 हेक्टैयर नहरी मय गैरमुमकिन खाला भूमि में जगतार सिंह के नाम 2.034 हेक्टैयर, लाल सिंह के नाम 1.017 हेक्टैयर, करतार सिंह के नाम 1.017 हेक्टैयर पिसरान गोमा सिंह, व लाल सिंह पुत्र गोमा सिंह, करतार सिंह पुत्र लाल सिंह व [illegible] पुत्री बहिस्सा बराबर 1.017 हेक्टैयर भूमि दर्ज राजस्व रिकॉर्ड है। उक्त 5.085 हेक्टैयर [illegible] गोमा सिंह को अलॉट हुई थी व सभी प्रतिवादीगण गोमा सिंह के वारिसान [illegible] संख्या 1 क[illegible] कौर गोमा सिंह के पुत्र लाल सिंह की पुत्री है व प्रतिवादी संख्या 2 ता 6 रामप्यारी, सुरजीत [illegible] कौशल्या बाई, जगदीश सिंह, सरजीत सिंह गोमा सिंह के पुत्र लाल सिंह के पुत्र करतार [illegible] वारिसान है व प्रतिवादी संख्या 7 ता 10 जोगेन्द्र सिंह, सतपाल सिंह, मिन्दो बाई, महेन्द्र सिंह गोमा सिंह के पुत्र जगतार सिंह के वारिसान है। उक्त भूमि में से मुरब्बा नम्बर 2 के किला नम्बर 5 के

Signature Not Verified
Digitally signed by Subhash Chandra
Date: 2023.06.09 14:34:31 IS
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्री करणपुर

10 बिस्वा व किला नम्बर 6 सालम, किला नम्बर 15 ता 25 सालम-सालम कुल 12 बीघा 10 बिस्वा मय खाल पर दिनांक 31.08.1996 को मृतक गोमा सिंह जीवनकाल में ही वादी भजन सिंह ने कब्जा कर लिया था। जो वादी ने गोमा सिंह की देखा देखी व गोमा सिंह की जानकारी में खुलमखुला किया था। उसके बाद से आज तक निरन्तर उक्त भूमि पर वादी का शांतिपूर्वक कब्जा चला आ रहा है। वादी का कब्जा करीब 44 वर्ष से निरन्तर शांतिपूर्वक कब्जा होने से प्रतिकूल हो चुका है। उक्त खाता की शेष भूमि पर गोमा सिंह के पुत्र जगतार सिंह व जगतार सिंह की मृत्यू के बाद जगतार सिंह के वारिसान प्रतिवादी संख्या 7 ता 10 का कब्जा चला आ रहा है। उक्त भूमि पर वादी ने गोमा सिंह की देखा देखी व गोमा सिंह की जानकारी में कब्जा खुलमखुला किया था व गोमा सिंह की मृत्यू के बाद उसके पुत्रों की देखादेखी में व उसके पुत्रों की मृत्यू के बाद उनके वारिसान (प्रतिवादीगण) की देखा देखी में वादी का उक्त विवादित भूमि पर शांतिपूर्वक कब्जा चला आ रहा है। इस प्रकार से वादग्रस्त भूमि पर 44 साल से अधिक समय से वादी का कब्जा चला आ रहा है। अतः प्रतिवादीगण अथवा उनके पूर्वज गोमा सिंह द्वारा ना तो उक्त आराजी को गत 44 साल में कभी काश्त किया ना ही मामला लगान अदा किया गया है। अतः उनके खातेदारी अधिकार स्वतः ही समाप्त होकर वादी में निहित हो चुके है तथा खातेदार काश्तकार तथा हकदार बन चुका है। वही मामला अदा करता है। पानी लगा रहा है तथा मांगपत्र आदि आने पर राशि जमा करवा रहा है। वादी प्रतिकूल कब्जा के आधार पर खातेदार बन चुका है तथा अपना नाम राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज करवाने का अधिकारी है। वादी ने प्रतिवादीगण से बार-बार कहा कि उक्त वादग्रस्त आराजी के प्रतिकूल कब्जा के आधार पर वादी को खातेदार काश्तकार हकदार मानकर राजस्व रिकॉर्ड में नाम दर्ज करवाने करवाए व उनके शांतिपूर्वक कब्जा काश्त वारी पानी उपभोग में स्वंय अथवा अन्य किसी के माध्यम से बाधा डालने व भूमि से जबरन बेदखल करने किसी को मुन्तकिल करने से बाज व ममनू रहे मगर टाल मटोल करते हुए आज से 10 रोज पूर्व साफ इन्कार हो गये। यही वाद कारण है। वादपत्र न्यायालय के क्षेत्राधिकार, श्रवणाधिकार व पूर्ण कोर्ट फीस पर पेश है। अतः वादपत्र वादी पेश कर निवेदन है कि चक 2 ओ के मुरब्बा नम्बर 2 के किला नम्बर 5 के 10 बिस्वा, किला नम्बर 6 सालम, किला नम्बर 15 ता 25 सालम-सालम कुल 12 बीघा 10 बिस्वा मय खाल नहरी भूमि को प्रतिकूल कब्जा के आधार पर खातेदार घोषित किया जावे व उक्त भूमि के संबध में स्थाई निषेधाज्ञा पारित की जावे।

वाद पत्र पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया एवं प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादी संख्या 1 की ओर से अधिवक्ता श्री सुभाष गोयल उपस्थित आए। प्रतिवादी संख्या 3 ता 6 की ओर से अधिवक्ता श्री सतीश कुमार अरोडा उपस्थित आए। प्रतिवादी संख्या 7 स्वंय उपस्थित आया। प्रतिवादी संख्या 2,8,9,10 बावजूद तामील उपस्थित नहीं आने पर इनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही के आदेश दिए गए। प्रतिवादी संख्या 3 ता 7 की ओर से जवाबदावा पेश नहीं करने पर जवाब प्रतिवादी बन्द किया गया। प्रतिवादी संख्या 1 की ओर से जवाबदावा पेश किया। जवाबदावा के अनुसार चक 2 ओ के मुरब्बा नम्बर 2 भारत सरकार द्वारा परिवार के सदस्यों के आधार पर सभी सदस्यों को आवंटित हुआ था और भारत सरकार द्वारा जारी सनद संख्या 8699 में सदस्यों के नाम दर्ज है और राजस्व रिकॉर्ड में भी रकबा आवंटि[illegible] नाम दर्ज है। यह कथन गलत है कि उससे चक 2 ओ के मुरब्बा नम्बर 2 के 12 बीघा 10 बिस्वा भूमि पर कब्जा करा लिया हो या फिर गोमा सिंह के जीवनकाल में ही उसने कब्जा कर लिया हो। वादी का यह कथन बिल्कुल कपोल कल्पित व मिथ्या लिखा गया है। [illegible] दिनांक 07.06.2010 को पुलिस थाना केसरीसिंहपुर में एक प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर स्वीकार किया है कि उसने आराजी ठेका पर ली है। उसने पुलिस थाना केसरीसिंहपुर द्वारा उन्हीं ब्यानों को आधार मानकर माननीय न्यायालय में प्रतिवादी संख्या 1 व उसके परिवार के सदस्यों के विरूद्ध 107, 151 सीपीसी का परिवाद पेश किया है। जिससे स्पष्ट होता है कि वादी ने करतार सिंह के

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्री करणपुर

Signature Not Verified
Digitally signed by Subhas Chandra
Date: 2023.06.09 14:34:31
Reason: SelfAttested

हिस्सा की आराजी ठेका पर ली थी। वादी का कोई कब्जा नहीं है। प्रतिवादी संख्या 1 के रकबा पर वादी का कभी कब्जा नहीं रहा है। ठेका पर दी गई आराजी को ठेका लेने वाला व्यक्ति कभी खातेदार नहीं बनता है। अतः जवाबदावा पेश कर अर्ज है कि वादपत्र भारी कोस्ट पर खारिज फरमाया जावे। जवाब स्टेट पेश नहीं करने पर बन्द किया गया। हमने प्रकरण मे निम्नलिखित विवाद्यक विरचित किये:-

1. आया कि क्या वादी चक 2 ओ के मुरब्बा नम्बर 2 के किला नम्बर 5 के 10 बिस्वा, किला नम्बर 6 सालम, किला नम्बर 15 ता 25 सालम कुल 12 बीघा 10 बिस्वा भूमि मय खाला का प्रतिकूल कब्जा के आधार पर खातेदार घोषित होने का हकदार है?
   -जिम्मे वादी-
2. आया कि क्या वादी इस विवादित भूमि के संबध में प्रतिवादीगण के विरूद्ध स्थाई निषेधाज्ञा पारित करने का अधिकारी है?
   -जिम्मे वादी-
3. आया कि क्या वादी के द्वारा विवादित आराजी भूमि ठेका पर लिये जाने के कारण वादी को प्रतिकूल कब्जा के आधार पर खातेदार घोषित नहीं किया जाकर वादपत्र खारिज किये जाने योग्य है?
   -जिम्मे प्रतिवादी संख्या 1-
4. अनुतोष।

प्रतिवादी संख्या 1 के अधिवक्ता को देहान्त हो जाने के उपरान्त प्रतिवादी संख्या 1 की ओर से अधिवक्ता श्री रोशन लाल राठौड उपस्थित आए। प्रतिवादी संख्या 1,3,4,5,6 की ओर से उपस्थित अधिवक्ता के द्वारा पत्रावली पर अंकित किया कि प्रतिवादीगण की ओर से पैरवी की हिदायत नहीं है। लिहाजा प्रतिवादी संख्या 1,3,4,5,6 के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही के आदेश दिए गए।

वकील वादी ने अपने वादपत्र के समर्थन में साक्ष्य प्रदर्श-1 चक 2 ओ की जमाबन्दी सम्वत 2064 ता 67 के खाता संख्या 25/24 के मुरब्बा नम्बर 2 की जमाबन्दी, प्रदर्श-2ए, 3ए, 4ए, 5ए, 6ए, 7ए, 8ए, 9ए, गोमा सिंह के नाम की पानी की पर्चीयों की प्रतियां, प्रदर्श- 10ए, 11ए, 12ए, 13ए, 14ए, 15ए, 16ए, 17ए, 18ए सिंचाई विभाग मामला रसीद की प्रतियां, स्वंय वादी भजन सिंह का साक्ष्य शपथपत्र, पेश किया। जो सामिल पत्रावली है। ब्यान सामिल मिसल किए गए। प्रतिवादीगण के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही के आदेश होने के कारण साक्ष्य प्रतिवादी बन्द की गई।

हमने एकपक्षीय बहस सुनी तथा उस पर मनन किया तथा वादी अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत माननीय उच्चतम न्यायालय के Full bench Ravinder Kaur Grewal And Others Vs. Manjit Kaur And Others civil Appeal No. 7764 of [illegible] with Special Leave Petition(Civil) Nos. 8332-8333 of 2014 Decided on 07-08-2019 के न्यायिक दृष्टांत का ससम्मानपूर्वक अवलोकन किया व पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का भली-भांति अवलोकन करते हुए संगत विधिक प्रावधानों पर गौर किया। हम प्रकरण का तनकी वार पृथक-पृथक विवेचन करते हुए निर्णय करना आवश्यक एंव उचित समझते है जो निम्नानुसार है:-

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) श्री करणपुर

Signature Not Verified
Digitally signed by Subhash Chandra
Date: 2023.06.09 14:34:31
Reason: SelfAttested

तनकी संख्या 1: आया कि क्या वादी चक 2 ओ के मुरब्बा नम्बर 2 के किला नम्बर 5 के 10 बिस्वा, किला नम्बर 6 सालम, किला नम्बर 15 ता 25 सालम कुल 12 बीघा 10 बिस्वा भूमि मय खाला का प्रतिकूल कब्जा के आधार पर खातेदार घोषित होने का हकदार है?

उक्त विवाद्यक को साबित करने की जिम्मेदारी वादी की थी। वादी द्वारा अपने पक्ष के समर्थन में चक 2 ओ की जमाबन्दी सम्वत 2064 ता 67 के खाता संख्या 25/24 के मुरब्बा नम्बर 2 की जमाबन्दी, गोमा सिंह के नाम की पानी की पर्चीयों की प्रतियां, सिंचाई विभाग मामला रसीद की प्रतियां, स्वंय वादी भजन सिंह का साक्ष्य शपथपत्र प्रस्तुत किया। वादग्रस्त आराजी चक 2 ओ की जमाबन्दी सम्वत 2064 ता 67 के खाता संख्या 25/24 के मुरब्बा नम्बर 2 के अवलोकन से स्पष्ट है कि चक 2 ओ के मुरब्बा नम्बर 2 की कुल 5.085 हेक्टैयर भूमि जगतार सिंह, लाल सिंह, करतार सिंह पिसरान गोमा सिंह, लाल सिंह पुत्र गोमा सिंह, करतार सिंह पुत्र लाल सिंह व करतार कौर पुत्री लाल सिंह के नाम दर्ज राजस्व रिकॉर्ड है। उक्त भूमि सनद संख्या 8699 के द्वारा जीवों के आधार पर गोमा सिंह, लाल सिंह, जगतार सिंह, करतार सिंह, जीतो को आवंटित हुई थी। पानी की पर्ची गोमा सिंह व उनके वारिसों के नाम है। वादी भजन सिंह द्वारा दिनांक 07.06.2010 को थानाधिकारी, पुलिस थाना केसरीसिंहपुर में दिये गए परिवाद में स्वंय स्वीकार किया है कि मैंने उक्त भूमि ठेके पर ली थी। ऐसी स्थिति में वादी प्रतिकूल कब्जे के आधार पर खातेदार घोषित होने का हकदार नहीं है। माननीय राजस्व मण्डल, राजस्थान अजमेर के परिपत्र क्रमांक सम/6198-6900 दिनांक 05.04.2019 की बिन्दु संख्या 19 के अनुसार जिन मामलों मे प्रतिकूल कब्जा के आधार पर खातेदारी अधिकार मांगे जाते है उनका निस्तारण मण्डल की पूर्ण पीठों द्वारा निम्न मामलों मे प्रतिपादित सिद्धांतो के अनुसार किया जाए-

1. 2011 RRD 508 जगदीश एवं अन्य बनाम सीताराम व अन्य
2. 2018 RRD 715 सरजू राव बनाम अमृत लाल

2018 RRD 715 सरजू राव बनाम अमृत लाल के निर्णय अनुसार "After giving an exhaustive consideration to the matter in hand, we are also constrained to note that in the Rajasthan Tenancy Act, 1955, there is no provision in whom the khatedari rights would vest in case the land has been acquired by a person through adverse possessior." अर्थात राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत प्रतिकूल कब्जा के आधार पर खातेदारी अधिकार प्रदान करने का कोई भी प्रावधान नही है। अतः यह तनकी विरूद्ध वादी निर्णीत की जाती है।

तनकी संख्या 2 : आया कि क्या वादी इस विवादित भूमि के संबध में प्रतिवादीगण के विरूद्ध स्थाई निषेधाज्ञा पारित करने का अधिकारी है?

उक्त विवाद्यक को साबित करने की जिम्मेदारी वादी की थी। चूकिं पूर्व निर्णीत तनकी संख्या 1 वादी के विरूद्ध निर्णीत की जा चूकी है। वादी उक्त विवादित भूमि के संबध स्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है। अतः यह तनकी विरूद्ध वादी निर्णीत की जाती है।

तनकी संख्या 3 : आया कि क्या वादी के द्वारा विवादित आराजी भूमि ठेका पर लिये जाने के कारण वादी को प्रतिकूल कब्जा के आधार पर खातेदार घोषित नहीं किया जाकर वादपत्र खारिज किये जाने योग्य है?

Signature Not Verified
Digitally signed by Subhash Chandra
Date: 2023.06.09 14:34:31
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)

उक्त विवाद्यक को साबित करने की जिम्मेदारी प्रतिवादी संख्या 1 की थी। हस्तगत प्रकरण में प्रतिवादी संख्या 1 के द्वारा साक्ष्य प्रतिवादी हेतु उपस्थित नहीं आने पर साक्ष्यप्रतिवादी बन्द की गई है। प्रतिवादी संख्या 1 के द्वारा जवाबदावा के साथ प्रस्तुत दस्तावेजात में वादी भजन सिंह द्वारा दिनांक 07.06.2010 को थानाधिकारी, पुलिस थाना केसरीसिंहपुर में दिये गए परिवाद में स्वंय स्वीकार किया है कि मैंने उक्त भूमि ठेके पर ली थी। इसलिए प्रतिकूल कब्जे के आधार पर वादी को खातेदार घोषित नहीं किया जा सकता। वादी का वाद खारिज किये जाने योग्य है। अतः यह तनकी बहक प्रतिवादी संख्या 1 विरूद्ध वादी निर्णीत की जाती है।

3 .अनुतोष।

पूर्व निर्णीत तनकी संख्या 1 ता 3 विरूद्ध वादी निर्णीत की जा चुकी है। अतः वादी को कोई अन्य अनुतोष प्रदान करना विधिसंगत नहीं समझते है। लिहाजा यह तनकी इस कदर निर्णीत की जाती है।

-:क्रियात्मक आदेश:-

अतः उपर्युक्त विवाद्यकों के पृथक-पृथक निर्णयों के आलोक में निष्कर्षतः वादी वाद अंतर्गत धारा 53,88,188,92ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 भली-भांति साबित नहीं होने पर अस्वीकार/खारिज किया जाता है। पर्चा डिक्री इस आशय का जारी हो। पत्रावली इस माफिक फैसल शुमार होकर संख्या से एक कम होते हुए दाखिल दफतर हो।

{सुभाष चन्द्र (आर.ए.एस)}
सहायक कलक्टर एंव पदेन उपखण्ड अधिकारी
श्री करणपुर जिला श्रीगंगानगर

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्री करणपुर

निर्णय आज दिनांक 21.02.2023 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सेरे ईजलास सुनाया गया।

{सुभाष चन्द्र (आर.ए.एस)}
सहायक कलक्टर एंव पदेन उपखण्ड अधिकारी
श्री करणपुर जिला श्रीगंगानगर

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्री करणपुर

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) श्री करणपुर (श्री गंगानगर)
सत्यमेव जयते

Signature Not Ver

Digitally signed by Sub
Chandra
Date: 2023.06.09 14:3
Reason: SelfAttested

अंतिम डिक्री बमुकदमे इब्तदाई

{ऑर्डर 20, रूल 6-7, जाब्ता दीवानी}

(Civil Procedure Code, Appendix "D-1")

अज अदालत सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी {राजस्व} मुकाम श्रीकरणपुर

ब इजलास श्री सुभाष चन्द्र (आर.ए.एस.)

भजन सिंह बनाम करतार कौर आदि

धारा अन्तर्गत **53**, 88, 188, 92ए आरटीए मुकदमा नम्बर **26/2010**

निर्णय दिनांक :- 21.02.2023

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) श्रीकरणपुर व हाजरी **वादी अधिवक्ता श्री योगेश कुमार बंसल उपस्थित होने पर** आदेश दिया जाता है व डिक्री दी जाती है कि वादी वाद अंतर्गत धारा 53,88,188,92ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 भली-भांति साबित नहीं होने पर अस्वीकार/खारिज किया जाता है।

आज दिनांक 21.02.2023 को यह पर्चा डिक्री मेरे हस्ताक्षर व न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

{सुभाष चन्द्र (आर.ए.एस.)}
सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी
श्रीकरणपुर जिला श्रीगंगानगर
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) श्री करणपुर

मुददई	रूपया	पैसा	मुदायली	रूपया	पैसा
स्टाम्प अरजीदावा	02	00	स्टाम्प वकालतनामा	02	00
स्टाम्प वकालतनामा	02	00	स्टाम्प अरजी	00	--
स्टाम्प ड्यूटी	00	00	मेहनताना वकील पर	00	--
योग	04	**00**	**योग**	**02**	**00**

{सुभाष चन्द्र (आर.ए.एस.)}
सहायक कलक्टर एंव पदेन उपखण्ड अधिकारी
श्रीकरणपुर जिला श्रीगंगानगर
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) श्री करणपुर

अधिकारी (राजस्व) श्रीगंगानगर उपखण्ड श्री करणपुर

Signature Not Verified
Digitally signed by Subhash Chandra
Date: 2023.06.09 14:34:31
Reason: SelfAttested